राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश की दिनांक एवं अनुलग्नक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	676/2025 राजेश चौधरी, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
2.	677/2025 सोहन लाल वर्मा, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।		15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	
3.	685/2025 सूरज कंवर, कृषि अधिकारी	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।		15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	
4.	743/2025 अब्दुल हमीद अंसारी, नर्सिंग ऑफिसर	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री कोमल गिरी/ हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
5.	812/2025 रामभरोस मीना, नर्सिंग ऑफिसर	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री सुखराज सिंह राठौड, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
6.	914/2025 चेतराम मीणा, खनिकार्यदेशक ग्रेड–I	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक ए–1)	श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक एवं श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता
7.	936/2025 कलावती चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर	राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक ए–1)	श्रीमती अराधना स्वामी, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
8.	938/2025 राकेश कुमार मीना, नर्सिंग ऑफिसर	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री विजय पाठक, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
9.	945/2025 महेन्द्र कुमार छिनवाल, नर्सिंग ऑफिसर	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक ए–1)	श्री सुरेन्द्र सिंह/ श्री आर.के. निगम, अभिभाषक एवं श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
10.	947/2025 ओमप्रकाश मीणा, नर्सिंग ऑफिसर	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।	20.01.2025	15.01.2025 (अनुलग्नक ए–1)	

आदेश की दिनांक : 12.02.2025

समक्ष :– **अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से स्थानान्तरण आदेश को चुनौती दी गई और समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण ने अपने स्थानान्तरण होने से स्थानान्तरण के संबंध में इस आधार पर प्रार्थना की है कि स्थानान्तरण से उनको पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पडेगा। अतः अपीलार्थीगण के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आलोच्य आदेश अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थीगण को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपीलों में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थीगण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है। जहां तक अपीलार्थीगण की व्यक्तिगत परेशानियों का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम मामलों की वर्तमान परिस्थिति एवं तथ्यों तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश

(Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)